

राजीव कृष्णा, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश



सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ - 226002
फोन नं.: 0522-2724003 / 2390240, फैक्स नं.: 0522-2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई-मेल : police.up@nic.in
वेबसाइट : <https://uppolice.gov.in>
दिनांक : अक्टूबर 23, 2026

विषय: ई-साक्ष्य मोबाइल ऐप के माध्यम से SID निर्माण, FIR से लिंकिंग, सत्यापन एवं अन्य संबंधित कार्यवाही के संबंध में तैयार SOP के अनुरूप कार्यवाही कराये जाने के संबंध में।

प्रिय महोदय,

जैसा कि विदित है कि NIC के द्वारा क्राइमसीन व Search/Seizure की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी हेतु e-Sakshya मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जिस पर की जा रही कार्यवाही का नियमित पर्यवेक्षण अधोहस्ताक्षरी तथा तकनीकी सेवायें मुख्यालय द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में पूर्व में डीजी परिपत्र संख्या-28/2026 एवं 42/2026 के माध्यम से कमिश्नरेट/जनपद स्तर पर ऐप के पर्यवेक्षण एवं अधिकाधिक उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

उक्त निर्देशों के क्रम में न्याय संहिता के क्रियान्वयन वर्ष 2024 से 15 जुलाई, 2026 तक उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन में उल्लेखनीय एवं निरंतर सुधार परिलक्षित हुआ है। उक्त अवधि में आपके प्रयासों से प्रदेश का प्रदर्शन 76.7 प्रतिशत हो गया है। यह प्रगति e-Sakshya के प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन की दिशा में एक सराहनीय एवं अनुकरणीय उपलब्धि है।

प्रदेश में e-Sakshya मोबाइल ऐप के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल साक्ष्यों के संकलन, SID निर्माण, FIR से लिंकिंग, सत्यापन एवं प्रमाणीकरण आदि से संबंधित कार्यवाहियों को अधिक सुव्यवस्थित, प्रभावी, पारदर्शी एवं एकरूपता बनाए जाने तथा वर्तमान कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार एवं प्रक्रियात्मक स्पष्टता के दृष्टिगत मुख्यालय स्तर पर एक SOP तैयार की गई है।

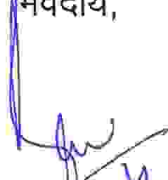
उक्त SOP में e-Sakshya मोबाइल ऐप पर की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में विभिन्न स्तरों पर निर्धारित दायित्वों, स्तरवार कार्य एवं अनुश्रवण की व्यवस्था को स्पष्ट किया गया है। इसके साथ ही Creator एवं संबंधित विवेचक द्वारा SID को FIR से लिंक करने की विस्तृत प्रक्रिया, Final Linking/Reject की कार्यवाही तथा अंतिम सत्यापन एवं तकनीकी सावधानियों का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, जिससे e-Sakshya पर की जा रही कार्यवाही में अनावश्यक विलंब एवं त्रुटियों को न्यूनतम किया जा सके।

अतः संलग्न SOP का भली-भाँति अवलोकन एवं अध्ययन करते हुए उसमें निर्धारित प्रक्रिया, दायित्व एवं अनुश्रवण व्यवस्था के अनुरूप e-Sakshya मोबाइल ऐप पर संबंधित कार्यवाही करना/कराना सुनिश्चित करें। जनपद/इकाई स्तर पर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त SOP से अवगत कराते हुए इसके प्रभावी अनुपालन एवं नियमित अनुश्रवण की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए।

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विभिन्न स्तरों पर निर्धारित दैनिक, त्रिदिवसीय, साप्ताहिक एवं मासिक अनुश्रवण व्यवस्था के अनुरूप e-Sakshya की प्रगति की समीक्षा की जाती रहे तथा अपेक्षित प्रगति से पीछे रहने वाली इकाइयों में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

आशा है कि संलग्न SOP के प्रभावी अनुपालन से e-Sakshya मोबाइल ऐप के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल साक्ष्यों के संकलन एवं प्रबंधन की प्रक्रिया में अपेक्षित एकरूपता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित होने के साथ-साथ प्रदेश के प्रदर्शन एवं उपयोगिता में निरंतर सुधार बना रहेगा।

संलग्नक:- SOP.

भवदीय,

(राजीव कृष्णा)

समस्त पुलिस आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

e-Sakshya / SID-FIR लिंकिंग के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु (SOP)

1. दायित्व-स्तरवार कार्य, अनुश्रवण एवं उत्तरदायित्व -

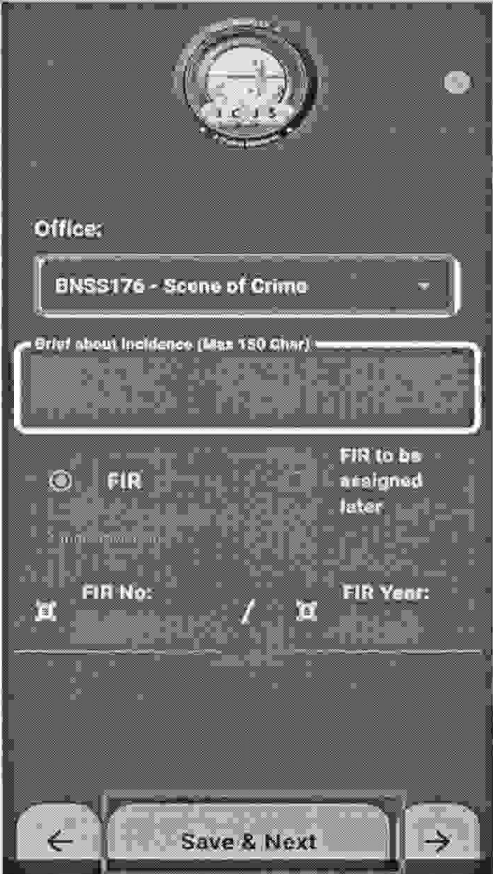
क्र.सं.	पदाधिकारी / स्तर	दायित्व	समय-सीमा
1.	विवेचक / जांच अधिकारी (IO)	i. e-Sakshya मोबाइल एप के माध्यम से घटनास्थल/बयान का ऑडियो-वीडियो, फोटोग्राफ रिकॉर्ड करें। ii. तुरंत SID जनरेट करें यदि FIR संख्या उपलब्ध न हो तो 'Save & Next' कर बाद में लिंक करें। iii. जब एफआईआर नम्बर प्राप्त हो जाये तब एस आई डी के साथ लिंक करते हुये अग्रिम कार्यवाही करेंगे। iv. BSA की धारा 63(4)(c) के अंतर्गत सर्टिफिकेट जनरेट करें। v. हर हाल में स्वयं अथवा Creator के द्वारा generated SID को संबंधित FIR/GD नं0 से लिंक करें।	24 घंटे के भीतर
2.	थाना प्रभारी (SHO)	i. अपने थाने में प्रतिदिन पंजीकृत समस्त FIR की अनिवार्य रूप से समीक्षा की जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी FIR बिना SID के न रहे। ii. प्रतिदिन लंबित/अनलिंकड SID की सूची प्राप्त कर संबंधित विवेचक (IO) से आवश्यक कार्यवाही कराते हुए FIR-SID लिंकिंग की प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूर्ण कराई जाए।	प्रतिदिन
3.	क्षेत्राधिकारी / (Dy. SP / ACP)	i. अपने क्षेत्राधिकार के समस्त थानों में SID-FIR लिंकिंग की प्रगति की नियमित समीक्षा करते हुए अपेक्षित प्रगति से पीछे चल रहे थानों को चिन्हित करें। ii. साथ ही, नियमित रूप से SIDs की quality हेतु उनकी समीक्षा करें।	प्रतिदिन
4.	एडिशनल एसपी (Addl. SP / ADCP)	i. प्रत्येक 03 दिवस के अंतराल पर FIR – SID लिंकिंग एवं Pending SID Linking की प्रगति की अनिवार्य रूप से समीक्षा की जाए। ii. लंबित प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही कराते हुए SID-FIR लिंकिंग का समयबद्ध निस्तारण किया जाए।	3 दिवस
5.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक (SSP / SP / DCP)	i. प्रत्येक पंजीकृत FIR में न्यूनतम एक SID की तत्काल लिंकिंग कराई जाए तथा लंबित SID लिंकिंग के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराया जाए। ii. अपराध समीक्षा बैठक में भी थानावार FIR-SID लिंकिंग की प्रगति की समीक्षा की जाए तथा अपेक्षित प्रगति से पीछे रहने वाले थानों को चिन्हित किया जाए। iii. SID लिंकिंग में लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब पाए जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए।	साप्ताहिक
6.	ADG / CP (जोन / कमिश्नर) IG / JCP / DIG (रेंज / कमिश्नर)	जनपदों की समीक्षा कर जिम्मेदार जनपदों से स्पष्टीकरण लें व सुधार हेतु समयबद्ध निर्देश जारी करें।	मासिक व जनपद भ्रमण के समय

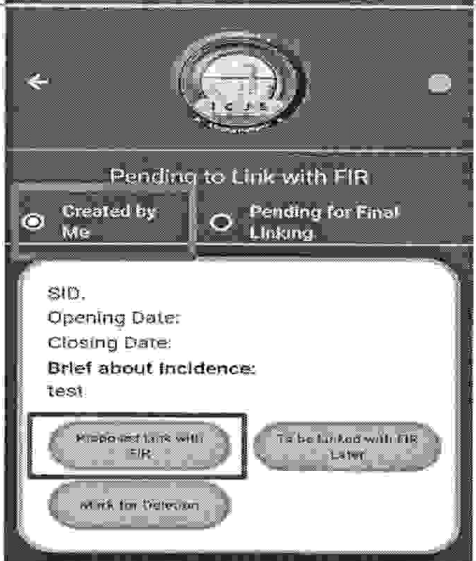
2. SID को FIR से लिंक करने की प्रक्रिया

e-Sakshya मोबाइल ऐप पर वर्तमान व्यवस्था में SID को FIR से लिंक करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान उपलब्ध है जिनका विवरण निम्नवत है -

- I. **Creator (विवेचक के अतिरिक्त अन्य)**-Creator द्वारा SID को FIR से केवल Propose Link किया जायेगा
 - a) **SID Creation with FIR & Propose Linking**
 - b) **SID Creation before FIR registration & Propose Linking after FIR registration**
- II. **IO (विवेचक)**-IO द्वारा स्वयं एवं creator द्वारा propose link की गयी SID को FIR से Final किया जाएगा
 - a) **SID Creation with FIR & Final Linking**
 - b) **SID Creation by selecting "FIR to be assigned later" option and Final Linking**
 - c) **Verification and Final Linking of Creator-Proposed SID**

I (a) Creator (SID Creation with FIR & Propose Linking)

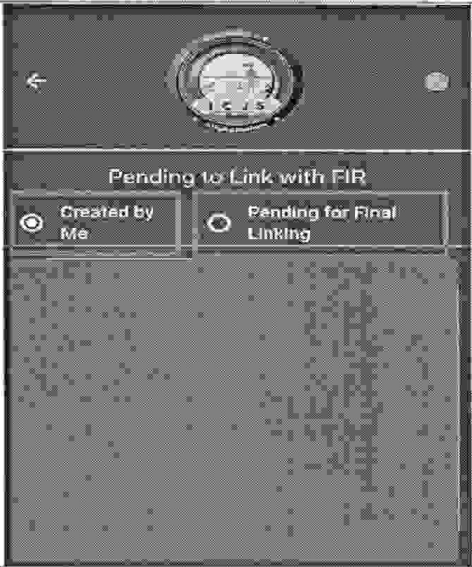
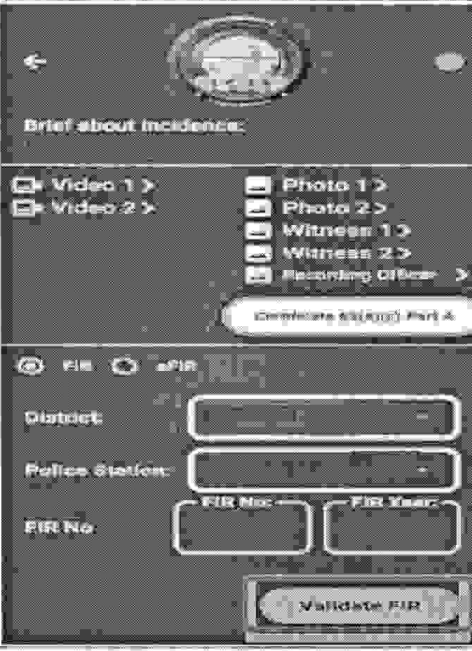
क्र.सं.	विवरण	प्रक्रिया
1.	SID का निर्माण: Creator द्वारा सम्बन्धित BNSS की धारा का चयन कर विवेचक के न होने पर FIR विवरण दर्ज कर "Save & Next" ऑप्शन पर क्लिक करें एवं घटना/साक्ष्य/बयान की आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर SID Generate करें।	

2.	Pending to Link with FIR: SID को FIR से Link करने के लिए "Pending to Link with FIR" आप्शन पर जायें।	
3.	इसमें "Created by Me" तथा "Pending for Final Linking" दो विकल्प उपलब्ध होंगे।	
4.1	Created by Me: "Created by Me" में संबंधित SID का चयन कर "Proposed Link with FIR" पर टैप करें।	

4.2	SID विवरण की सत्यापन की कार्यवाही करते हुए District, Police Station, FIR Number एवं Year दर्ज कर "Validate FIR" करें।	
5.	FIR विवरण का सत्यापन: प्रदर्शित FIR विवरण का संबंधित SID/प्रकरण से मिलान करें। किसी विवरण में त्रुटि होने पर "Edit" के माध्यम से आवश्यक सुधार करें तथा सही पाए जाने पर "Proposed Linking" करें। नोट- SID को केवल संबंधित FIR से ही propose लिंक करें तथा FIR Number, Year, District एवं Police Station का अनिवार्य रूप से सत्यापन करें।	

I (b) Creator (SID Creation before FIR registration & Propose Linking after FIR registration)

क्र०सं०	चरण	प्रक्रिया
1.	SID का निर्माण: Creator द्वारा सम्बन्धित BNSS की धारा का चयन कर FIR दर्ज न होने की स्थिति में "FIR to be assigned later" विकल्प चुनकर "Save & Next" करें एवं घटना/साक्ष्य/बयान की आवश्यक रिकॉर्डिंग पूर्ण कर SID Generate करें।	
2.	Pending to Link with FIR: FIR दर्ज होने के उपरान्त सम्बन्धित SID को FIR से लिंक करने के लिए "Pending to Link with FIR" में जाएं।	

3.	इसमें "Created by Me" तथा "Pending for Final Linking" दो विकल्प उपलब्ध होंगे।	
4.1	Created by Me: "Created by Me" में संबंधित SID का चयन कर "Proposed Link with FIR" पर टैप करें।	
4.2	SID विवरण की सत्यापन की कार्यवाही करते हुए District, Police Station, FIR Number एवं Year दर्ज कर "Validate FIR" करें।	

5.

FIR विवरण का सत्यापन: प्रदर्शित FIR विवरण का संबंधित SID/प्रकरण से मिलान करें। किसी विवरण में त्रुटि होने पर **"Edit"** के माध्यम से आवश्यक सुधार करें तथा सही पाए जाने पर **"Proposed Linking"** करें।

नोट- SID को केवल संबंधित FIR से ही propose लिंक करें तथा FIR Number, Year, District एवं Police Station का अनिवार्य रूप से सत्यापन करें।

The screenshot displays a mobile application interface for linking a SID (Suspect Identification Document) with an FIR (First Information Report). The interface includes the following elements:

- Header:** A back arrow on the left and a profile icon on the right.
- Edit Button:** A button labeled "Edit" in the top right corner.
- Form Fields:** A series of input fields for the following information:
 - FIR No:
 - Date:
 - GD No:
 - Accused Name:
 - Complainant Name:
 - IO Name:
- Confirmation Section:** A checkbox followed by the text: "I have verified the FIR details and submitted a request to the concerned IO for linking SID with FIR."
- Action Button:** A large button at the bottom labeled "Proposed Linking".

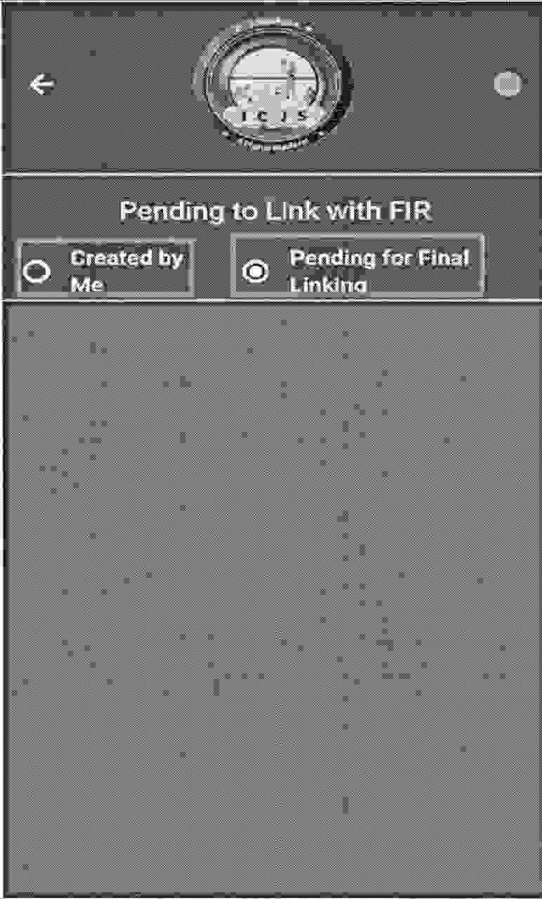
II (a) IO (SID Creation with FIR & Final Linking)

क्र.सं.	चरण	प्रक्रिया
1.	SID का निर्माण: IO द्वारा सम्बन्धित BNSS की धारा का चयन कर FIR विवरण दर्ज किया जायेगा तत्पश्चात "Save & Next" आप्शन पर क्लिक करें एवं घटना/साक्ष्य/बयान की आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर SID Generate करें।	
2.	Pending to Link with FIR: SID को FIR से Link करने के लिए "Pending to Link with FIR" आप्शन पर जायें।	

3.	इसमें "Created by Me" तथा "Pending for Final Linking" दो विकल्प उपलब्ध होंगे।	
4.	Pending for Final Linking : IO द्वारा बनायी गयी SID, "Pending for Final Linking" ऑप्शन पर प्रदर्शित होगी। वह स्वयं SID एवं FIR विवरण का सत्यापन कर Final Linking with FIR कर सकता है।	

II (b) IO (SID Creation using “FIR to be assigned later” & Final Linking)

क्र०सं०	चरण	प्रक्रिया
1.	SID का निर्माण: IO द्वारा सम्बन्धित BNSS की धारा का चयन करने के उपरान्त “FIR to be assigned later” विकल्प चुनकर “Save & Next” करें एवं घटना/साक्ष्य/बयान की आवश्यक रिकॉर्डिंग पूर्ण कर SID Generate करें।	
2.	Pending to Link with FIR: FIR से लिंक न किए गए SID के लिए “Pending to Link with FIR” में जाएं।	

3.	इसमें “Created by Me” तथा “Pending for Final Linking” दो विकल्प उपलब्ध होंगे।	
4.1	Created by Me: “Created by Me” में संबंधित SID का चयन कर “Proposed Link with FIR” पर टैप करें।	

4.2	SID विवरण की सत्यापन की कार्यवाही करते हुए District, Police Station, FIR Number एवं Year दर्ज कर "Validate FIR" करें।	
5.	FIR विवरण का सत्यापन: प्रदर्शित FIR विवरण का संबंधित SID/प्रकरण से मिलान करें। किसी विवरण में त्रुटि होने पर "Edit" के माध्यम से आवश्यक सुधार करें तथा सही पाए जाने पर "Proposed Linking" करें। Proposed Linking के उपरान्त SID, सम्बन्धित FIR से Final Link हो जायेगी। नोट- SID को केवल संबंधित FIR से ही propose लिंक करें तथा FIR Number, Year, District एवं Police Station का अनिवार्य रूप से सत्यापन करें।	

II (c) Verification and Final Linking of Creator-Proposed SID

क्र०सं०	चरण	प्रक्रिया
1.	Pending to Link with FIR: Creator द्वारा Propose linked की गयी SID's को सम्बन्धित FIR से Final Link करने के लिए "Pending to Link with FIR" ऑप्शन पर जायें	
2.	इसमें "Created by Me" तथा "Pending for Final Linking" दो विकल्प उपलब्ध होंगे।	

3.1	Pending for Final Linking : SID, IO के अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा बनायी गयी है इसलिये सम्बन्धित SID, IO के Pending for Final Linking आप्शन पर प्रदर्शित होगी।	
3.2	IO द्वारा संबंधित SID का चयन कर SID एवं FIR विवरण का सत्यापन किया जाए। सही पाए जाने पर Final Linking with FIR करें तथा गलत/असंबंधित पाए जाने पर "Reject" कर स्पष्ट Remarks दर्ज करें।	

नोट-

अंतिम सत्यापन एवं तकनीकी सावधानी: SID को केवल संबंधित FIR से लिंक करें तथा FIR Number, Year, District एवं Police Station का अनिवार्य रूप से सत्यापन करें। "FIR Doesn't Exist", "IO mobile number is not updated" आदि तकनीकी त्रुटि होने पर गलत FIR से लिंक न करें और समस्या का निम्नानुसार समाधान कराएं।

- **FIR does not exist** : एफआईआर CCTNS ऑफलाइन से ऑनलाइन में सिंक करायें एवं पुनः चेक करें यदि समस्या निस्तारित न हो तो एफआईआर संख्या व एसआईडी संख्या तथा सपोर्ट टीम द्वारा सम्पर्क करने हेतु अपने मोबाइल नम्बर के साथ ई-साक्ष्य सपोर्ट पर (support-esakshya@nic.in & support-icjs@gov.in) ई-मेल करें।
- **IO Mobile Number**: सीसीटीएनएस में FIR जिस विवेचक को आवंटित की गयी है उसका मोबाइल नम्बर ई-साक्ष्य ऐप के लॉगिन मोबाइल नम्बर के समान अपडेट करें तथा यदि समस्या बनी रहे तब एफआईआर संख्या, एसआईडी संख्या तथा अपने मोबाइल नम्बर के साथ ई-साक्ष्य सपोर्ट पर (support-esakshya@nic.in & support-icjs@gov.in) ई-मेल करें।